[illegible] [illegible]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1924

29 [illegible], **2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

[illegible] [illegible]

1924. [illegible] **हिना विजयकुमार गावीतः**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री [illegible] [illegible] [illegible]
श्री मोहनभाई कुंडारियाः
श्री [illegible] [illegible] [illegible]:
श्री हेमन्त पाटिलः

क[illegible] **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

([illegible]) क्या सरकार का विचार देश म [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], तो देश म समयबद्ध [illegible] [illegible] [illegible] वाली आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कितनी निधि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

([illegible]) क[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स[illegible] पाठ्यक्रमों म आपातकालीन दवा और अभिघात परिचर्या को शामिल करने और उन्ह अन्य स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए प्रशिक्षित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], तो इस मामले म निणय कब [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

([illegible]) क्या सरकार ने अभिघात परिचर्या म [illegible] [illegible] 2022 तक सभी चिकित्सा [illegible]लेज अस्पतालों म पूण परिचालित आपातकाल विभाग के लिए इसे अनिवाय भी किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] क[illegible] [illegible];

([illegible]) क्या सरकार का विचार कार्डियो पलमोनरी पुनर्जीवन जैसे आपातकाल प्राथमिक [illegible] प्रक्रियाओं म नागरिकों को प्रशिक्षित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], तो तत्संबंधी ब्यौरा क[illegible] [illegible] [illegible]

(□) क्या सरकार को आपातकालीन दवा के क्षेत्र में शैक्षिक और वैज्ञा□□ □□□ □□□□□□□ □□□ लक्षित आपातकालीन दवा के दसवें एशियाई सम्मेलन की जानकारी है और यदि हां, □□ □□□ किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और तत्संबंधी निष्कर्ष क□□ □?

□त□□

स□स्थ्य और परिवार कल्या□ □ज□ मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(□): दवाइयों (आपातकालीन दवाइयों सहित) की खरीद के लिए राज्य □□ □□ □ज□ क्षेत्रों □□ स□स्थ्य विभागों को राष्ट्री□ स□स्थ्य □□□ □□□□म से प्रतिवर्ष निधियां आवंटित की जाती हैं। राज्य □□ □□ □ज□ क्षेत्र अपनी आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

(□) □□□(□): केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल काउंसि□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ स□□□□ के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 “कॉम्पिटेंसी □स□ ट्रेनिंग प्रोग्राम” को कार्यान्वित किया है। ऐसे कार्यक्रम आपातकालीन स्थितियों से निपटने के □□ □□□□□□□ □□क□र को क्षमता निर्माण प्रदान करते हैं। दिनांक 06.11.2019 को सरकारी राजपत्र में केंद्र सरकार के अनुमोदन से परिषद के विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया □□□ □□

बोर्डऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिनांक 09.10.2019 □□ आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन सभी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से अनिवार्यता अपेक्षित होगी।

(□): देशभर में नागरिकों को विभिन्न □□□□□ □□ □□-सरकारी एजेंसियों (इंडियन रेड क्रॉ□, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, स□ट ब्रांच्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) के माध्य□ □□ फर्स्ट-□□, कार्डियो - □ल□नरी रेसुसिटेशन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(□.): एशियन सोसायटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन की प्राइवेट संगठन, □□□□□□□ □म□□□ □□□□□ □□□, द□□□ प्र□□□ □□□ □□□ □□ स□स्थ□ एवं परिवार कल्या□ □त्रा□□, □□□ □□□□ 10वें एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की कार्यवाहियों □□ □क्ष□□ □□□□□

*****